

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय रायपुर

क्रमांक /वि.स./स्था /2017

रायपुर, दिनांक /2017


// कार्यालय-आदेश //

सचिवालय की विभिन्न शाखाओं के द्वारा उनसे संबंधित शाखाओं के देयक भुगतान की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये जाते हैं। कुछ अवसरों पर यह देखा गया है कि शाखा की टीप पर प्रभारी अधिकारी केवल अपने हस्ताक्षर कर नस्ती प्रमुख सचिव को अग्रेषित कर देते हैं। यह प्रक्रिया उचित नहीं है।

प्रभारी अधिकारी को प्रमुख सचिव को नस्ती प्रस्तुत करने के पूर्व भुगतान की राशि का बारीकी से परीक्षण कर, देयक में अंकित राशि भुगतान योग्य है, स्पष्ट टीप अंकित करते हुए प्रस्तुत की जानी चाहिए।

कृपया इस निर्देश का भविष्य में ध्यान रखें।

आदेश से,



अपर सचिव

छत्तीसगढ़ विधान सभा

रायपुर, दिनांक 6/9/2017

पृ. क्रमांक 3435 /वि.स./स्था /2017

प्रतिलिपि:-

01. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय के निज सचिव को प्रमुख सचिव महोदय के सूचनार्थ।
02. समस्त अधिकारी छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय की ओर पालनार्थ।
- ✓ 03. सर्वर कक्ष।



अवर सचिव

छत्तीसगढ़ विधान सभा